रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 497] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 17, 2006/आश्विन 25, 1928
No. 497] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 17, 2006/ASVINA 25, 1928

रेल मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2006

सा.का.नि. 643(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन (मनोतकनीकी सेल में राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1975 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, भारतीय रेल के मनोतकनीकी सेल में समूह "क" और समूह "ख" पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**--(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल मनोतकनीकी सेल समूह "क" और समूह "ख" पद भर्ती नियम, 2006 है ।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना** : ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि** : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता** : वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति** :--जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के नियम 45 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
1. कार्यपालक निदेशक (मनोविज्ञान)	1* (2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	रेल सेवा समूह ''क'', राजपत्रित, अननुसचिवीय	18,400-500-22,400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
11	12
संयुक्त पद्धति : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)+ प्रोन्नति	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)+ प्रोन्नति : I. केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अर्द्धसरकारी/कानूनी या स्वायत संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी : (क)(i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 14300-18300 रु. के वेतनमान या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 12000-16500 रु. के वेतनमान या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है :-- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य । (ii) परिचालन सुरक्षा जैसे पेट्रोलियम में ड्रिल करना, अग्नि संबंधी कार्य, गति, पत्तन न्यास परिवहन के क्षेत्र में समूह ''क'' का दस वर्ष का अनुभव;

11	12
	II. जिन्होंने 12000–16,500 रु. के वेतनमान में ऐसे विभागीय संयुक्त निदेशक के पद पर भी आठ वर्ष नियमित सेवा की है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्तियों के साथ भी विचार किया जाएगा और यदि उसका चयन हो जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ समझा जाएगा । **टिप्पणी :** प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
13	14
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है

1	2	3	4	5	6	7
2. संयुक्त निदेशक (मनोविज्ञान)	1*(2006) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	रेल सेवा समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय	12000–375–16500 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ।	**प्रोन्नति :** 10000–15200 रु. के वेतनमान में ऐसे वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (मनोविज्ञान) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है । **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके वरिष्ठ अधिकारियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है । प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :– 1. केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अर्द्ध-सरकारी/कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :–

11	12
	(क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर संदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 10000—15200 रु. के वेतनमान या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है :— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में मास्टर डिग्री की या समतुल्य. (ii) परिचालन सुरक्षा जैसे पेट्रोलियम में ड्रिल करना, अग्नि संबंधी कार्य, गति, पत्तन न्यास परिवहन के क्षेत्र में समूह "क" का सात वर्ष का अनुभव । **टिप्पणी.** : प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी प्रतिनि[illegible] पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

13	14
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति :- 1. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड —अध्यक्ष 2. वित्त आयुक्त, रेलवे बोर्ड —सदस्य 3. रेलवे बोर्ड के अन्य सदस्य —सदस्य	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है) पर किसी अधिकारी को नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

1	2	3	4	5	6	7
3. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (मनोविज्ञान)	4* (2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	रेल सेवा समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय	10000-325-15200 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
(i) 50% प्रोन्नति (ii) 50% प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है ।	**प्रोन्नति :** 7500-12000 रु. के वेतनमान में ऐसे कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (मनोविज्ञान) जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की है । **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके वरिष्ठ अधिकारियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है ।

11	12
	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :-- 1. केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अर्द्ध-सरकारी/कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी : (क)(i) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर में विभाग में 8000-13500 रु. के वेतनमान या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 6500-10500 रु. के वेतनमान या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं:- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में मास्टर की डिग्री या समतुल्य; (ii) परिचालन सुरक्षा जैसे पेट्रोलियम में ड्रिल करना, अग्नि संबंधी कार्य, गति, पत्तन न्यास परिवहन के क्षेत्र में समूह "क"/समूह "ख" पदों का पांच वर्ष का अनुभव । पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होगें । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होगे। प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

13	14
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति:- 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —(अध्यक्ष) 2. कार्यपालक निदेशक (सुरक्षा)/निदेशक (सुरक्षा) रेलवे बोर्ड —(सदस्य) 3. कार्यपालक निदेशक/निदेशक, स्थापना/प्रबंध सेवा निदेशालय, रेलवे बोर्ड —(सदस्य)	प्रत्येक अवसर पर पद पर नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6	7
4. कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (मनोविज्ञान)	7* (2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	रेल सेवा समूह "ख", राजपत्रित, अननुसचिवीय	7500-250-12000 रु.	चयन	30 वर्ष तक। **टिप्पण 1** : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख प्रत्येक मामले में भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम,	लागू नहीं होता

6		
		मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

8	9	10
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य; (ii) मनोविज्ञान या बुद्धि, अभिक्षमता और व्यक्तित्व परीक्षणों के प्रशासन का दो वर्ष का अनुभव जिसके अंतर्गत कार्य आबंटन तथा नियोजन के लिए अभ्यर्थियों को व्यावसायिक परामर्श देना तथा उनके चयन करने का अनुभव भी है। **वांछनीय :** दुर्घटना अनुसंधान में 2 वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1** :—अर्हताएं अन्यथा समर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2** :—अनुभव संबंधी अर्हता भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हां	सीधी भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए दो वर्ष।

11	12
50% प्रोन्नति 50% सीधी भर्ती।	**प्रोन्नति :** वैज्ञानिक पर्यवेक्षक ग्रेड 1 (7450-11500 रु.) जिसने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम न हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

13	14
प्रोन्नति/पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. अपर महानिदेशक (आर डी एस ओ) —अध्यक्ष 2. कार्यपालक निदेशक, यातायात (आर डी एस ओ) —सदस्य 3. संयुक्त निदेशक (आर डी एस ओ) —सदस्य	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 93/ई/जीसी/आर आर/मनोविज्ञान]

जसवंत राय, कार्यपालक निदेशक, स्थापना (राज. संवर्ग), रेलवे बोर्ड

MINISTRY OF RAILWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2006

G.S.R. 643(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Research, Designs and Standards Organisation (Gazetted posts in the Psycho-Technical Cell) Recuitment Rules, 1975, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'A' and Group 'B' posts in the Psycho-Technical Cell of the Indian Railways, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Indian Railways Psycho-Technical Cell (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and the scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.—The method of recruitmens, to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for the appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 45 of the Railway Services (Pension) Rules, 1993
1	2	3	4	5	6
1. Executive Director (Psychology)	1* (2006) *Subject to variation dependent on workload.	Railway Service Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 18400-500-22400	Not applicable	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption; grades from which promotion/deputation/absorption to be made
11	12
Composite Method : Deputation (including short-term contract) + Promotion.	**Deputation (including short-term contract) + Promotion :** I. Officers under the Central Government or State Government/ Union Territories/Universities/Recognised Research Institutions/Public Sector Undertakings/Semi-Government/ Statutory or Autonomous Organisations : (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 14300-18300 or equivalent in the parent cadre/ department; or (iii) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 12000-16500 or equivalent in the parent cadre/ department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience : (i) Master's degree in Psychology from a recognised University or equivalent; (ii) ten years experience in Group 'A' posts in the field of operational safety such as Drilling in Petroleum, Fire related work, Speed, Port Trust Transport. II. The departmental Joint Director in the scale of pay of Rs. 12000-16500 with eight years regular service will also be considered along with deputationists and in case he is selected the post shall be deemed to have been filled by promotion. **Note :**—Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
13	14
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary.

1	2	3	4	5	6
2. Joint Director (Psychology)	1* (2006) *Subject to variation dependent on workload.	Railway Service Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Rs.12000-375-16500	Selection	Not applicable

7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

11	12
Promotion failing which by deputation including short-term contract.	**Promotion :** Senior Scientific Officer (Psychology) in the scale of pay of Rs. 10000—15200 with five years regular service in the grade. **Note :—**Where Juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probationperiod for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Deputation (including short-term contract) :** Officers under the Central/State Government/Union Territories/ Universities/Recognised Resarch Institutions/Public Sector Undertakings/Semi-Government/Statutory or Autonomous Organisations : (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with five years' service inthe grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 10000-15200 or equivalent in the parent cadre/ department; or (b) possessing the following educational qualifications and experience : (i) Master's degree in Psychology from a recognised University or equivalent; (ii) Seven years experience in Group 'A' posts in the field of operational safety such as Drilling in Petroleum, Fire related work, Speed, Port Trust Transport. **Note :—**Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

13	14
Group 'A' Departmental Promotion Committee : 1. Chairman, Railway Board —Chairman 2. Financial Commissioner Railways —Member 3. Other members of the Railway Board —Members	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract).

3292 91/08-3

1	2	3	4	5	6
3. Senior Scientific Officer (Psychology)	4* (2006) *Subject to variation dependent on workload.	Railway Service Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Rs.10000-325-15200	Selection	Not applicable

7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	2 Years

11	12
(i) 50% promotion (ii) 50% deputation including short-term contract.	**Promotion :** Junior Scientific Officer (Psychology) in the scale of pay of Rs. 7500-12000 with six years regular service in the grade. **Note :**—Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Deputation (including short-term contract)** Officers under the Central/State Government/Union Territories/Universities/Recognised Research Institutions/ Public Sector Undertakings/Semi Government/Statutory or Autonomous Organisations : (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 8000—13500 or equivalent in the parent cadre/ department; or (iii) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 6500—10500 or equivalent in the parent cadre/ department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience : (i) Master's degree in Psychology from a recognised University or equivalent; (ii) Five years experience in Group 'A'/'B' posts in the field of operational safety such as Drilling in Petroleum, Fire related work, Speed, Port Trust Transport. The departmental officers in the feeder category who are in the line of promotion shall not be eligible for consideration on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

12
Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

13			14
Group 'A' Departmental Promotion Committee : 1. Chairman/Member, UPSC 2. Executive Director (Safety)/Director (Safety), Railway Board 3. Executive Director/Director Management Services or Estt. Directorate of Railway Board	—Chairman —Member —Member		Consultation with Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occasion.

1	2	3	4	5	6
4. Junior Scientific Officer (Psychology)	7* (2006) *Subject to variation dependent	**Railway Service Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial** on workload.	Rs.7500-250-12000	Selection	Not applicable

7	8	9	10
Upto 30 years. **Note 1 :** Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2 :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	**Essential :** i. Master's degree in Psychology from a recognized University or equivalent. ii. Two years, practical experience in psychology or administration of intelligence aptitude and personality test including experience in occupational counselling and selection of candidates for job allocation and placement. **Desirable :** Two years experience in accident research. **Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates belonging to	**Age :** No. **Educational qualifications :** Yes.	Two years for direct recruits.

8		
	Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	

11	12
50% Promotion; 50% Direct recruitment.	**Promotion :** Scientific Supervisor Grade I (Rs. 7450-11500) with two years regular service in the grade. **Note :—Where Juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.**

13		14
Group 'B' Departmental Promotion Committee considering promotion/confirmation : 1. Additional Director General (RDSO) 2. Executive Director Traffic (RDSO) 3. Joint Director Traffic (RDSO)	—Chairman —Member —Member	**Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.**

[F.No. 93/E(GC)RR/Psycho.]

JASWANT RAI, Executive Director, Estt. (GC)
Railway Board

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.